SHRI VAYALAR RAVI: Madam, cardamom is one of the major cash crops in southern India, particularly in Kerala. Occasionly, the Spices Board has taken the right steps to encourage export of cardamom even by giving subsidy. The main question is while we are encouraging export of cardamom even by giving subsidy and other methods, the hon. Minister denied having imported more <han 50,000 tonnes of cardamom through different parties. I would like to know whether the Government would take steps to prevent any kind of encroachment of the Indian market by Guatemala through back door and completely ban import of cardamom under OGL or any other scheme. I would also like to know whether the Government would encourage farmers to export cardamom by giving subsidy to farmers.

SHRI KINJARAPPU YERRAN NAIDU: Madam, the hon. Member has made a good suggestion. As far as smuggling of cardamom from Guatemala in concerned, even formal protest notes have been sent to the Government of Nepal, through diplomatic channels requesting the Nepalese authorities to organise their import of such sensitive (terns to meet the genuine requirements of Nepal. Nepal is a small country and its consumption is very small, but it imported a large quantity of cardamom As a resu!t, there is scope for smuggling and other things.

SHRI VAYALAR RAVI: Wt i.-xpori cardamom mainly to the Go?' region. In this regard, the Spices Boatd has taken certain steps. ! would !ike So know whether you would encourage export of cardamom and give subsidy to farmers.

SHRI KINJARAPPU YERRAN NAIDU: Certainly, yes.

Payment of Transportation cost for Lifting Levy Sugar

*246. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is not fair to grant actual transportation expenses to levy sugar nominee for the transport of levy sugar; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard?

"transportation charges would be allowed at

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) वास्तविक प्रभार दिए जाते हैं जो कुछ मानदण्डों पर आधारित होते हैं। 1.4.1996 तक निम्नानुसार ढुलाई प्रभार अदा किए जाते थे:—

"अथवा

(क) वास्तविक रेल भाड़ा; या

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क द्वारा वास्तविक ढुलाई प्रभार जो उस राज्य में खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनुमोदित ढुलाई प्रभारों की दर तक सीमित रखे जाते हैं। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें उपलब्ध नहीं हैं, राज्य सरकारों की दरें अनुमत की जाती हैं जो वास्तविक रेल भाड़े तक सीमित रखी जाती हैं। जहां भारतीय खाद्य निगम की दरें और रेलशीर्ष नहीं है वहां राज्य सरकारों की दरें अनुमत की जाएं।"

तथापि चूंकि इस विधि से प्रभारों की गणना करने में कुछ विलम्ब हो जाता है इसलिए इस प्रणाली को सरल बनाने का निर्णय लिया गया था। 1.4.1996 से लागू संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए परिवहन प्रभारों की एक निश्चित दर अनुमत की जाएगी जो पिछले वर्षों के दौरान वहन किए गए खर्च के लेखापरीक्षित आकड़ों के आधार पर निर्धारित की जाएगी और संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित की जाएगी।

श्री बंगारू लक्ष्मण: मैडम, मंत्री जी ने मेरे सवाल का सीधा जवाब तो नहीं दिया, जो स्टेटमेंट दिया है उसके अन्दर उन्होंने कहा है कि

a flat rate for each State to be Fixed on the basis of audited figures of expenditure..."

अब सवाल सीधा यह है कि जहां

पर लेवी शुगर दी जा रही है, उसका रेल या रोड ट्रांसपोर्ट से जो ट्रांसपोर्ट होता है, रेल हो तो रेल से, रोड हो तो रोड के ट्रांसपोर्ट चार्जिज उनको सीधे देने चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा है कि फ्लेट रेट उनको दे रहे हैं। अब इस सरकार की जो गाइड लाइन्स हैं उसके इन्टरप्रिटेशन पर काफी डिले हो रहा है और इस कारण से स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन्स जो हैं वे होल सेल के नाते ऐश करते हैं। जो पी.डी.एस. को लेवी शुगर सप्लाई करते हैं उनको फाइनेन्स करने में, फाइनेन्स जुटाने में और समय पर पैसा भरकर शुगर पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सीधे-सीधे यह तय करेगी कि जो स्टेट होल सेलर के नाते से सिविल सप्लाई कारपोरेशन वाले शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाई मीन्स आफ रेल हो सकता है, बाई मीन्स रोड हो सकता है, तो क्या उसका सीधा-सीधा भुगतान राज्य सरकारों को करेंगे? यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैडम, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया उसमें मेरा स्पष्ट जवाब था। लेवी चीनी की दुलाई प्रभार की राज्यवार दर अलग-अलग है। जो राज्य अधिक चीनी उत्पादन करने वाले है, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, ये अधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं; ऐसे राज्यों के लिए एक व्यवस्था है। ऐसे राज्यों में चीनी की दुलाई जो दी जाती है वह रेल और सड़क मार्ग से दी जाती है। ऐसे राज्य 18 हैं। इसमें लगभग संघ राज्य और क्षेत्र राज्यों से चीनी वितरण का काम राज्य सरकारों द्वारा नामीनेट जो राज्य एजेन्सी है उसके जरिए से किया जाता है और जो दूर-दराज के 14 राज्य हैं। चौदह राज्य जिनमें संघ शासित राज्य भी हैं असम, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जम्मू और काश्मीर, अरूणाचल, अंडमान-निकोबार, लक्ष्यद्वीप, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा इनको एफसीआई आपरेट करती है उनकी दुलाई का कार्य करती है। ऐसे अठारह राज्य हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट से एजेंसीज को डायरेक्ट प्रभार दिया जाता है। इन 18 राज्यों में हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दमनद्वीप, नागर हवेली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी हैं। इन राज्यों में जो राज्यों की नॉमिनेटड एजेंसियां हैं उनके द्वारा दुलाई होती है। माननीय सदस्य अपना सवाल स्पष्ट करें कि वे क्या चाहते हैं।

यदि आप पुरानी व्यवस्था चाहेंगे तो पुरानी व्यवस्था भी लागू करने के लिए हम तैयार हैं।

उपसभापति: आप क्या चाह रहे हैं?

श्री बंगारू लक्ष्मण: सवाल यह है कि जिस स्टेट को शुगर दी जाती है, यह कहा गया है कि उनको फ्लेट रेट पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज दिया जाता है जबकि स्टेट की यह डिमांड है, मांग है कि एक्च्युअल चार्जेज हों, उसके सैटेलमेंट के लिए काफी साल लग रहे हैं। वहां का जो सिविल सप्लाई कारपोरेशन है, होल सेल के नाते से काम करता है, वह पीडीएस को सप्लाई करता है, वह बड़ी दिक्कत में पड़ रहा है। मेरा यह कहना है कि जो स्टेट ने सर्टिफाई किया या जिस भी अथोरिटी को फूड मिनिस्ट्री वाले नॉमिनेट करेंगे, उन्होंने जो सर्टिफाई किया, उस सर्टिफिकेट के बेस पर तुरन्त उसका भुगतान होना चाहिये। जो ट्रांसपोर्ट चार्जेज है उसके कारण उनका कैश फ्लो बढ़ सकता है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैडम, जो खुदरा निर्गम मूल्य है, जो हमारा सीआईपी है उसको हम उपभोक्ता की भलाई को देखते हुए, कंज्यूमर्स के वैलफेयर को देखते हुए हम उसको नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी केन्द्र सरकार सब्सिडी 59.2 करोड़ रुपया प्रति माह वहन कर रही है। हमको लेवी शुगर पर सब्सिडी देनी पड़ रही है ताकि उपभोक्ता परेशानी में न पड़े। माननीय सदस्य फ्लेट रेट की चर्चा करते हैं यदि दुलाई खर्च को बढ़ा दिया जाये तो निश्चित रूप से पूरे देश में जो चीनी का एक दाम 9 रुपये 5 पैसे हैं, जो भारत सरकार की तरफ से कंज्यूमर्स रेट फिक्स है उसको उस रेट पर नहीं दे पायेंगे, हमको दाम बढ़ाना पड़ेगा, दाम न बढ़े इसीलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है क्योंकि हमको निश्चित रूप से कंज्यूमर्स, उपभोक्ता का ध्यान रखना पड़ता है, यह हमारी प्रायरिटी है।

श्री बंगारू लक्ष्मण: सवाल यह है कि उपभोक्ता का दाम तो नहीं बढ़ना चाहिये यह मान लिया किन्तु राज्य सरकारों पर जो आज बर्डन हो रहा है, जिसके कारण वितरण में दिक्कतें पैदा हो रही हैं उसको केन्द्र सरकार कैसे सुलझाना चाहती है? हर राज्य सरकार केन्द्र सरकार से इस बात की फरियाद कर रही है कि हमारे पास इस प्रकार से खर्च बढ़ रहा है। केन्द्र सरकार ने तो तय कर दिया है कि इतने रेट पर मिलेगा। राज्य सरकार उसके रेट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है तो घाटा राज्य सरकार पर पड़ रहा है और जिसके कारण उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। क्या सरकार इस दिक्कतों को दूर करने के लिए और कुछ करना चाहेगी?

उपसभापति: उन्होंने यह कहा कि जो लेवी शुगर लेते हैं उसके ऊपर पहले ही वे पैसे 69 करोड़ प्लस समथिंग देते हैं।

श्री बंगारू लक्ष्मण: नहीं मैडम, 59.2 करोड़ की सब्सिडी इनको देनी पड़ती है।

उपसभापति: 59.2 करोड़ रुपया सब्सिडी दे रही है। कंज्यूमर्स को बराबर भाव पर मिले इसलिए वे फ्लैट रेट रख रहे हैं।

श्री राघवजी: अगर वास्तव में चार्जेज ज्यादा हैं तो राज्य क्या करेंगे?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैडम, यह सरकार पारदर्शिता के सिद्धांत में विश्वास करती है और सच्चाई तो यह है कि चीनी रु 9.05 प्रति किलो, जो लेवी की शुगर हम पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देते हैं, इसमें टैक्स, आदि और ट्रांसपोर्टेशन खर्च शामिल करके इस दाम पर जनता को मुहैया की जाती है। अगर ढुलाई चार्ज बहुत बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको दाम बढ़ाने पड़ेंगे जिसका भार देश की गरीब जनता पर पड़ेगा। लेकिन सरकार इसके लिए कतई तैयार नहीं है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीब लोगों पर बोझ बढ़े।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: मैडम, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि रिवाइज्ड गाइड लाइंस 1.4.96 से बनाई गई हैं। इन गाइड लाइंस के अनुसार flat rates are to be fixed on the basis of audited figures of expenditure incurred during the previous years. तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है? क्या स्टेट-वाइज फिगर्स तय हो गई हैं? क्या इसकी केंद्रीय सरकार को जानकारी है या इस संबंध में नियम बनाने के बाद यह सारा मामला स्टेटों पर छोड़ दिया गया है कि वे इस मामले को तय करें? आपको इस मामले में क्या जानकारी है?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैडम, जिस नई गाइड लाइंस की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं, नई गाइड लाइंस के तहत अभी तक हमको मात्र गुजरात से 22 रुपया प्रति क्विंटल ढुलाई चार्ज का प्रस्ताव मिला है। और राज्य भी जब तक इस मामले में अपने सुझाव नहीं भेजते हैं तब तक केंद्रीय सरकार...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: इसका मतलब? ढुलाई तो हो रही है। क्या ढुलाई बंद है और आपका फैसला होने तक...

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: फैसला तो चालू है, फैसला तो चल रहा है...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: चालू है तो क्या तय कर रहे हैं कि क्या लेंगे, क्या वसूल करेंगे, इसको फाइनल करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है? आपने नियम बना दिए और भगवान के भरोसे छोड़ दिया।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: नहीं, नहीं, भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि 18 राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट्स की जो-नामिनेटेड एजेंसीज हैं, उनके जरिए ढुलाई हो रही है और 14 राज्यों में...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: लेकिन यहां चार्जेज का सवाल है। चार्जेज नामिनेटेड एजेंसीज क्या ले रही है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैंने आपसे कहा है कि यह अभी तक अपर्याप्त है। उनको न्यू गाइड लाइंस हमने जारी की है। उसके तहत राज्य सरकारों से अनुशंसा केन्द्र सरकार को प्राप्त होनी चाहिए। अभी तक सिर्फ गुजरात से अनुशंसा आई है। और किसी राज्य ने अभी तक अपना प्रस्ताव नहीं भेजा है। उनको प्रस्ताव के बिना कोई फैसला लेना उचित नहीं होगा। इस आलोक में राज्यों के हितों को भी देखना होगा। सिर्फ गुजरात से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अन्य किसी राज्य से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ...(**व्यवधान**)... इसका मतलब ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति: अब आप बैठिएं ...(**व्यवधान**)... सवाल हो गया है। ...(**व्यवधान**)... श्री नरेन्द्र मोहन।

श्री नरेन्द्र मोहन: माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शक्कर के संदर्भ में जो अभी आप चर्चा कर रहे थे उससे तो लगता है कि इस संबंध में अभी आपको एक राष्ट्रीय नीति बनानी है। आज स्थिति यह है कि उपभोक्ताओं को समय पर चीनी नहीं मिल पाती है और जो मिलती है उसमें विभिन्न राज्यों में गड़बड़ियां हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार शक्कर के बारे में एक स्पष्ट नीति राष्ट्रीय स्तर पर कब घोषित करेगी ताकि सभी राज्यों में समानरूप से दरें रहे। साथ ही शक्कर का जो उत्पादन बढ़ रहा है इसको देखते हुए एक ऐसी स्थिति बने कि शक्कर के मामले में भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों का सामना कर सके।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैडम, मैंने इसका पहले ही जिक्र किया था। माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर

रही है कि इस बारे में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। लेकिन जो मूल्यों का सवाल है जो माननीय सदस्य ने कहा है कि समान मूल्य नीति की भी चर्चा हो, मैं कहना चाहता हूं कि चीनी के मूल्य सम्पूर्ण देश में एक हैं 9.05 पैसे प्रति किलो।

**247[The questioner (Shri Bhagaban Majhi) was absent. For answer vide col- ..... infra]*

Incentives to Farmers for Promotion of Export of Grapes and Other Products

*248. DR. GOPALRAOVITHAL-RAO PATIL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the amount of air freight subsidy given for export of grapes and other products to farmers as an incentive to promote exports;

(b) the amount of subsidy given till date;

(c) if so, whether it is not going to the traders; and

(d) the other infrastructural facilities in the form of cold storages, container services and market support proposed to be given to floriculture, horticulture and export of vegetables?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMIAH): (a) to (c) Air Freight Subsidy Scheme in respect of export by air of selected floricultural, horticultural products and fresh vegetables was introduced on an experimental basis with effect from 19.9.93 to 31.3.94. Rs. 5.56 crores has been disbursed as subsidy for this period on export of grapes and other products. This scheme was not introduced during 1994-95. During 1995-96, Air Freight Subsidy Scheme was introduced with effect from 1.9.95 to 31.3.% for certain selected floricultural, horticultural products and fresh vegetables. An amount of Rs. 5.64 crores (including Rs. 27.74 lakhs towards air freight subsidy for export of grapes) has been disbursed to the eligible exporters.

Air Freight Subsidy Scheme for export of selected floricultural, horticulture and fresh vegetables has been announced for the period from 1.9.96 to 31.3.97. Claims arc being received for settlement.

This scheme has been extended to eligible exporters with the objective of off-setting the air freight disadvantage faced by them in the overseas markets.

(d) Some of the steps taken to promote the export of floriculture, horticulture products and fresh vegetables are:—

(i) Providing financial assistance to cxportcrs/growcrs/producers Cooperative Organisations for development of infrastructural facilities such as purchase of specialised transport units, establishment of pre-cooling/cold storage facilities;

(ii) Provision of soft loans for setting up of grading/processing centres, auction platforms, ripening/curing chambers and quality testing equipment;

(iii) Grant of Financial assistance for improved packaging and strengthening of quality control;

(iv) Establishment of walk-in-type cold storages for export consignments awaiting clearance;

(v) Setting up of integrated cargo handling facilities for perishable products at New Delhi Airport;

(vi) Establishment of vapour heat treatment facilities for elimination of fruit fly & improved acceptability of the product;

(vii) Arranging promotional cam paigns, buyer-seller meets and partici pation in international fairs/exhibi tions;

(viii) Implementation of UNDP Project on Foriculture for improving productivity and production.

DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Madam, the answer given by the hon. Minister is not satisfactory. This is an important question which relates to